न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 384 सन 2020

अनवान :–

1. किशोरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पुष्पादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मैनादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. लता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुदेश पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. सुनेना पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. शिवरतन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. जुगलकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. अशोक कुमार पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. पवन पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. महेन्द्र पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
14. श्यामसुन्दर पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. कृष्णा पुत्री शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. गुडडी देवी पुत्री शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. कोशल्या पुत्री शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेशकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 17/16 की कुल 4.5400हैक व रोही मोजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 142/190 की कुल 10.7120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्रीराम व उसकी पत्नि रूकमणी के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण एवं पुत्री शान्ति पर औद हुई दोनो का देहान्त हो चुका है लक्ष्मीनारायण के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है इसीप्रकार श्रीराम की मृतक पुत्री शान्ति के जायज व कानुनी वारिसान 11 ता 17 है अर्थात लक्ष्मीनारायण एवं शान्ति के जायज व कानुनी वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जिसके नाम से वर्तमान में भूमि उनके हक हिस्से के अनुसार विरास्तन से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी एवं प्रतिवदीगण संख्या 1 ता 17 एक ही परिवार के सदस्य है आपसी सहमति से परिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि

Scanned with CamScanner

को वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पुर्वज श्रीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने निवेदन किया की परिवारिक समझौता के तहत उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/भतिजे वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 17/16 की कुल 4.5400हैक व रोही मोजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 142/190 की कुल 10.7120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा श्रीराम व उसकी पत्नि रूकमणी के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र लक्ष्मीनारायण एवं पुत्री शान्ति पर औद हुई, दोनो का देहान्त हो चुका है लक्ष्मीनारायण के जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 है इसीप्रकार श्रीराम की मृतक पुत्री शान्ति के जायज व कानुनी वारिसान 11 ता 17 है अर्थात लक्ष्मीनारायण एवं शान्ति के जायज व कानुनी वारीसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जिसके नाम से वर्तमान में भूमि उनके हक हिस्से के अनुसार विरास्तन से दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवदीगण संख्या 1 ता 17 एक ही परिवार के सदस्य है आपसी सहमति से परिवारिक समझौता के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है व कथनों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने इकबाल जबाब पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 17/16 की कुल 4.5400हैक्‍ व रोही मोजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 142/190 की कुल 10.7120हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज श्रीराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा श्रीराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा श्रीराम , पुत्र लक्ष्मीनारायण, पुत्री शान्ति के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि परिवारिक समझौता के तहत वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 17/16 की कुल 4.5400हैक्‍ व रोही मोजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 142/190 की कुल 10.7120हैक्‍ भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर उनके हक हिस्सा की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. किशोरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 रामप्यारी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पुष्पादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मैनादेवी पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. लता पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. सुदेश पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
6. मंजु पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
7. सुनेना पुत्री लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
8. राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. शिवरतन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
10. जुगलकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. अशोक कुमार पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर ।
12. पवन पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर ।
13. महेन्द्र पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. श्यामसुन्दर पुत्र शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. कृष्णा पुत्री शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर ।
16. गुडडी देवी पुत्री शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. कोशल्या पुत्री शान्ति देवी पुत्री श्रीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 384 सन 2020 निर्णय दिनांक– 15/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता संख्या 17/16 की कुल 4.5400हैक व रोही मोजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 142/190 की कुल 10.7120हैक भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 के नाम दर्ज हिस्सा में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 का नाम कलमजन किया जाकर उनके हक हिस्सा की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner